रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2001/भाद्र 28, 1923
No. 249] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2001/BHADRA 28, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2001

सं. टीएएमपी/52/2001-सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार 28 मार्च, 2001 के अपने आदेश में अनुमोदित कलकत्ता डॉक प्रणाली (सीडीएस) के लिए लागू जलयान-संबंधी/कार्गो-संबंधी प्रभारों की समीक्षा के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास के प्रस्ताव से संबंधित मामले को बंद करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/52/2001-सीपीटी

कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) ---------- **आवेदक**

आदेश

(अगस्त, 2001 के 30वें दिन पारित किया गया)

यह मामला इस प्राधिकरण द्वारा 28 मार्च, 2001 के अपने आदेश में अनुमोदित कलकत्ता डॉक प्रणाली (सीडीएस) के लिए लागू जलयान संबंधी प्रभारों/कार्गो संबंधी प्रभारों में वृद्धि की समीक्षा करने के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने 28 मार्च, 2001 को सीपीटी की दरों के मान के सामान्य संशोधन से संबंधित एक आदेश पारित किया था। आदेश और सीपीटी के समेकित दरों के मान को, उसकी शर्तों सहित, 4 अप्रैल, 2001 को राजपत्र सं. 90 के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3. सीपीटी ने अपने प्रस्ताव में प्राधिकरण से निम्नलिखित मदों से संबंधित अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है :-

(i) सीडीएस में संशोधित बर्थ किराया और पायलट प्रभार की समीक्षा करना और सीडीएस और एचडीसी के लिए पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित बर्थ किराया और पायलट प्रभार दरों को अनुमोदित करना।

(ii) सीडीएस और एचडीसी में कंटेनरबंद कार्गो के लिए समान विलंब-शुल्क मुक्त अवधि।

(iii) सीडीएस में कंटेनर प्रहस्तन प्रभारों में मात्रा छूट।

(iv) लाइसेंसधारियों द्वारा सीडीएस में डॉक के भीतर लॉग के प्रहस्तन के लिए निजी उपस्कर प्रयोग करने पर घाटशुल्क में रियायत।

(v) सीडीएस में लॉग के प्रहस्तन के लिए लिफ्टिंग प्रभार में रियायत।

(vi) सीडीएस में पत्तन उपस्कर का प्रयोग करके कार्गो की सुपुर्दगी के लिए विलंब-शुल्क मुक्त अवधि में रियायत।

(vii) सीडीएस में 'लैश' बजरों के लिए बर्थ किराया और प्रस्थान प्रभारों का निर्धारण।

4. इसी बीच, पत्तन ने बर्थ किराया और पायलट शुल्क में रियायतें देने एवं व्यापार को राहत देने के लिए कुछ वर्तमान शर्तों में संशोधन करने के लिए दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर अलग से कार्यवाही की गई और इस प्राधिकरण द्वारा आज ही इसका अंतिम निपटान किया गया।

5. सीपीटी ने पत्र लिख कर यह कहा कि वह अपनी समीक्षा याचिका पर विचार के लिए कुछ अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराना चाहता है और ऐसा करने में उसे कुछ और समय लगेगा। सीपीटी ने यह भी अनुरोध किया है कि सीपीटी से अतिरिक्त सामग्री के प्राप्त होने के पश्चात ही उसकी समीक्षा याचिका पर तदनुसार सुनवाई की जाए।

6. सीपीटी द्वारा अपने 24 जुलाई, 2001 के पत्र में उल्लिखित अतिरिक्त सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सीपीटी ने ऐसी कोई विशेष अवधि नहीं बताई है, जिसके भीतर वे अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत कर देंगे। चूंकि, इस प्राधिकरण के 28 मार्च, 2001 के आदेश की समीक्षा करने के लिए सीपीटी के प्रस्ताव को एक मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था, इसलिए इस अनिश्चितकाल तक लंबित रखना संभव नहीं होगा।

7. उपर्युक्त स्थिति के आलोक में और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीपीटी द्वारा यथा उल्लिखित अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध न होने के कारण इस मामले को बंद करने का निर्णय करता है। यदि सीपीटी से इसके पश्चात अतिरिक्त सामग्री प्राप्त होगी तो इस मामले को विचार के लिए फिर से चालू किया जा सकता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2001/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2001

No. TAMP/52/2001-CPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the case relating to the proposal of the Calcutta Port Trust for a review of vessel-related/cargo-related charges applicable for the Calcutta Dock System (CDS) approved by the Authority in its Order dated 28th March, 2001 as in the order appended hereto.

SCHEDULE

Case No.TAMP/52/2001-CPT

Calcutta Port Trust (CPT) - - - **Applicant**

ORDER

(Passed on this 30th day of August 2001)

This case relates to a proposal received from the Calcutta Port Trust (CPT) to review the increase in vessel-related charges / cargo-related charges applicable for the Calcutta Dock System (CDS) approved by the Authority in its Order dated 28 March 2001.

2. This Authority had passed an Order on 28 March 2001, relating to a general revision of the Scale of Rates of the CPT. The Order and the consolidated Scale of Rates of the CPT alongwith its conditionalities were notified in the Gazette of India on 4 April 2001 vide Gazette No.90.

3. In its proposal, the CPT has requested the Authority to review its decisions relating to the following items:

(i). Reviewing the revised berth hire and pilotage charges at the CDS; and, to approve the same berth hire and pilotage rates for CDS and HDC, as approved by the Board of Trustees of the Port.

(ii). Common demurrage free period for containerised cargo at the CDS and the HDC.

(iii). Volume discount in container handling charges at the CDS.

(iv). Concession in wharfage for using private equipment to handle logs inside the Dock at the CDS by the licensees.

(v). Concession in lifting charge for handling of log at the CDS.

(vi). Concession in demurrage free period for delivery of cargo using port equipment at the CDS.

(vii). Fixation of berth hire and fleeting charges for LASH barges at the CDS.

4. In the meanwhile, the CPT has submitted another proposal for extending concessions in the Berth Hire and Pilotage Fees as well as amendments to some of the existing conditionalities in order to provide relief to the Trade. This proposal has been processed separately and finally disposed of by this Authority earlier today.

5. The CPT has sent a letter stating that it intends to provide some additional inputs for consideration of its review petition and it will take some more time to do so. The CPT has further requested this Authority that their review petition may accordingly be taken up for hearing after receipt of additional inputs from the CPT.

6. The additional inputs referred to by the CPT in its letter dated 24 July 2001 have not been received so far. The CPT has not given any specific time period by which they will be able to submit the required inputs. Since the proposal of the CPT to review this Authority's Order dated 28 March 2001 was registered as a case it is not be possible to keep it pending indefinitely.

7. In the light of the position explained above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to close this case due to non-availability of the additional inputs as stated by the CPT. If the additional inputs are received subsequently from the CPT, this case can be revived for consideration.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT. III/IV/143/2001/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054